| निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना | |
|---|---|
| INTODUCTION | **रैन बसेरा भवन** का नाम **निर्माण श्रमिक रात्रि विश्राम गृह होगा।** रैन बसेरो मे रात्रि विश्राम हेतु निर्माण श्रमिक को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्माण श्रमिक व उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार मे अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह मे अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जा सकेगा। |
| OBJECTIVE | म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये प्रभावशील कल्याण योजनाओं का तत्परता से लाभ दिलाने तथा निर्माण श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु। |
| ELIGIBLITY | 1. हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक<br>2. आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/ वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिये ।<br>3. रैन बसेरो मे रात्रि विश्राम हेतु निर्माण श्रमिक को प्राथमिकता दी जाएगी।<br>4. निर्माण श्रमिक व उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार मे अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह मे अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जा सकेगा।<br>5. नगरीय निकाय द्वारा रैन बसेरो के उपयोग के सम्बंध मे संधारित रिकार्ड मे निर्माण श्रमिक का नाम, पता, एवम पंजीयन क्रमांक अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।<br>6. रैन बसेरो मे विश्राम करने वाले निर्माण श्रमिको की मासिक जानकारी नगरीय निकाय द्वारा जिलास्तरीय श्रम अधिकारी को प्रतिमाह उप्लब्ध करायी जाएगी। |
| BENEFIT | निर्माण श्रमिक व उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार मे अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह मे अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जा सकेगा। |
| PROCESS | 1. रैन बसेरे हेतु स्थल का चयन तथा रैन बसेरे कि क्षमता के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति होगी-<br>• जिलाअध्यक्ष<br>• नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी<br>• सम्बंधित जिले का श्रम अधिकारी<br>2. क्षमता का निर्धारण स्थान की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा, रैन बसेरे की आवश्यकता व क्षमता के निर्धारण के पूर्व उक्त समिति द्वारा यह देखा जाएगा कि प्रश्नाधीन नगर मे पूर्व से कोई रैन बसेरा संचालित है या नही यदि पूर्व से संचालित है तो उसकी occupancy का प्रतिशत कितना है? और क्या उसका संचालन सुचारु रूप से हो रहा है?<br>3. रैन बसेरो का निर्माण, रखरखाव व संचालन सम्बंधित नगरीय निकायो द्वारा किया जाएगा।<br>4. रैन बसेरो मे महिला एवम पुरुषों के लिये पृथक पृथक 02 डोरमेट्री तथा |

| | |
|---|---|
| | पृथक पृथक स्नानागार व शौचालय की व्यव्स्था होगी । इसके अतिरिक्त रैन बसेरा के स्टाफ हेतु एक कमरा होगा।<br>5. सम्बंधित नगरीय निकाय से उक्त समिति कि अनुशंसा सहित प्रस्ताव मंडल मे प्राप्त होने पर मंडल द्वारा रैन बसेरे की कुल लागत की 100 % राशि दो किश्तो मे अनाव्रती व्यय ग्रांट के रूप मे दी जाएगी ।उपरोक्त राशि का व्यय भवन निर्माण, बह्वन सुसज्जा, फर्नीचर, अलमारी, पलंग बिस्तर ( रजाई , गद्दे ,चादर आदि) व लॉकर आदि हेतु किया जाएगा।<br>6. व्यय की राशि मंडल द्वारा निम्न सीमा मे देय होगी।<br>• चार महानगरो (भोपाल,ग्वालियर,इंदौर एवम जबलपुर हेतु) - 25 लाख<br>• अन्य नगर निगमो हेतु - 20 लाख<br>• नगरपालिकाओ हेतु - 15 लाख<br>• नगर पंचायतो हेतु - 10 लाख |